समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,25275320
तार : यूनिव्हर्सिटि
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन
इंदौर–252001

क्रमांक.संविक / रैगिंगरोकथाम / 2015–16 / दिनांक:

प्रति,

1/ प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला–इन्दौर,धार,झाबुआ,खण्डवा,खरगोन,बड़वानी,बुरहानपुर,अलीराजपुर।

2/ विभागाध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशालाएँ,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर।

विषयः– महाविद्यालयों / अध्ययनशालाओं में "रैगिंग" पर अंकुश लागाने बाबद।
संदर्भः– पत्र क्रमांक 402 / 264 / 83 / आउशि / शाखा–5'अ' / 2014,भोपाल,दिनांक 27 मई2015 एवं क्रमांक 15241 / माअआ / 15,भोपाल,दिनांक 16.6.15

महोदय / महोदया,

आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार समस्त महाविद्यालयों / अध्ययनशालाओं को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में प्रवेश का कार्य प्रगति पर है तथा कुछ ही समय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश कार्य पूर्ण हो जाएगा। प्रवेश लेकर महाविद्यालय में आने वाले नए छात्रों के साथ "रैगिंग" जैसी घटनाएं घट सकती हैं। अतः महाविद्यालय / अध्ययनशाला / छात्रावासों के अधिकारियों को ऐसे समय अत्यन्त सजग रहना आवश्यक है। महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले वाले छात्रों की रैगिंग की घटना को रोकने का प्रयास किया जाना प्रत्येक शिक्षण संस्था की प्राथमिकता है। अतः आपसे निवेदन है कि सत्रारंभ में ही **"रैगिंग"** रोकने के सघन एवं प्रभावी प्रयास किये जाएं तथा महाविद्यालय परिसरों में जगह–जगह रैगिंग के विरुद्ध चैतावनी का प्रदर्शन भी किया जाये।

प्राचार्य / अध्यक्ष / निदेशक या उनके द्वारा नियुक्त प्राध्यापक परिसर की सूक्ष्म निगरानी भी करेंगे।

मध्यप्रदेश शासन मानव अधिकार से प्राप्त पत्र के पालनार्थ प्राचार्य / विभागाध्यक्ष / निदेशक छात्रों की मीटिंग स्वयं लेकर लेकर छात्रों को रैगिंग जैसे अपराधिक कृत्य से दूर रहने के संबंध में बतायें। सत्रारंभ में ही रैगिंग के विरुद्ध कठोरतम एवं व्यापक कदम उठाया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

संलग्नः–म.प्र. एवं मा.अ.आ. से प्राप्त पत्र की छायाप्रति।

(आर.डी.मुसलगॉवकर)
कुलसचिव

पृष्ठां.क.संविक / रैगिंगरोकथाम / 2015–16 / दिनांक:

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1. मान्नीय प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,म.प्र.शासन, भोपाल
2. मान्नीय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, 5वी मंजिल,सतपुड़ा भवन,म.प्र.शासन,,भोपाल।
3. श्री विनोद कुमार,सचिव,मानव अधिकार आयोग,म.प्र.शासन
4. अतिरिक्त संचालक,इन्दौर संभाग,मोती बंगला,इन्दौर।